

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-



श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला
पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 71 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00 / 58

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/7/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	<p>938-39 10.7.19</p>
24/7/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने चाही सूचना उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसे निवेदन का सूचना प्रदान करने हेतु निवेदन इस न्यायालय द्वारा लिखा जाते या प्रकृत प्रोसेस करते हुए निवेदन किया कि चाही सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 278 डि 10-6-2019 के द्वारा अपीलांत को प्रोसेस की जा चुकी है। इस प्रकार वेतमान में इस न्यायालय स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही प्रोसेस नहीं रह जाती है। किहना अपील अपीलांत इसी स्तर पर करण की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुभान फैसला की जाकर नम्बर से करण हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	